न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री चुन्नीलाल पुत्र केसाजी, जाति- माली, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 17/2017

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री विरेन्द्र चौहान, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 19 फरवरी, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3015 रकबा 0.42 हेक्टेयर किस्म बारानी-। राजकीय बिलानाम भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3015 रकबा 0.42 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का पश्चात्वर्ती अतिचारी मानते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने, फसल नीलाम करने व एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो राजस्व अपील संख्या 130/2016 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.3.2017 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 बाबत जुर्माना आरोपित करने एवं फसल नीलाम करने के आदेश को यथावत रखते हुए बेदखली एवं सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि सिविल कारावास की सजा एवं बेदखली के आदेश के बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई तथा न ही अपीलार्थी को सुनवाई का किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान किया गया हैं। दिनांक 06.10.2017 की आदेशिका को पढ़ने से स्पष्टतया जाहिर है कि इस तारीख को अप्रार्थी को नोटिस जारी करने की आदेशिका लिखी गई है एवं आगामी तारीख पेशी 24.10.2017 रखी गई है, परन्तु अपीलार्थी को जो नोटिस जारी किया है वह नोटिस अपीलार्थी को तामिल ही नही हुआ है मात्र तामिल कुनिन्दा द्वारा खानापूर्ति की गई कि मौके पर आबाद मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है एवं गवाहों ने हस्ताक्षर नही किये। अधीनस्थ न्यायालय ने तामिली की विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना ही व अपीलार्थी को नोटिस तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2017 को पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से पूर्व में कभी भी भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुए भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की है, इसलिये प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन बचाव में अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये है। अपीलार्थी को नोटिस की विधिवत तामिल करवाई गई है जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.9.2017 को उपस्थित हुआ है उसके बाद पुनः नोटिस जारी किया है जो आबाद मकान पर चस्पा कराया गया है। उसके बाद भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2072 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3015 रकबा 0.42 हेक्टेयर किस्म बा.। राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 09.2.2016 को प्रकरण संख्या 75/2016 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26.2.2016 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 26.2.2016 के अनुसार अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से भौतिक रुप से बेदखल करने, खडी फसल को कब्जे राज ली जाकर नियमानुसार नीलामी करने, जुर्माना आरोपित करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 26.2.2016 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो राजस्व अपील संख्या 130/2016 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उक्त अपील प्रकरण में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.3.2017 के अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 बाबत जुर्माना आरोपित करने एवं फसल नीलामी के आदेश के यथावत बहाल रखते हुए बेदखली एवं सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि सिविल कारावास की सजा एवं बेदखली के बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.3.2017 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में दिनांक 12.6.2017 को पुन: प्रकरण संख्या 18/2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को आगामी सुनवाई दिनांक 29.7.2017 के संबंध में नोटिस जारी किया गया, लेकिन दिनांक 29.7.2017 को शनिवार का राजकीय अवकाश होने से पत्रावली दिनांक 31.7.2017 को प्रस्तुत हुई। दिनांक 31.7.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही होने से अपीलार्थी को पुन: आगामी सुनवाई दिनांक 13.9.2017 के संबंध में नोटिस जारी किया गया, जो अपीलार्थी की बहू को तामिल हुआ। प्रकरण में अपीलार्थी को व्यक्तिश: नोटिस तामिल नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 26.9.2017 के संबंध में पुन: नोटिस जारी किया गया जो अपीलार्थी को व्यक्तिश: तामिल हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26.9.2017 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने बचाव में कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक 06.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पुन: नोटिस जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा आबाद मकान पर चस्पा करने एवं मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा हस्ताक्षर नही करने की रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ, लेकिन अधीनस्थ न्यायलय में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24.10.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय से विवादित

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि के मौके की रिपोर्ट भी तलब की गई, जो हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.7.2017 को प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 21.7.2017 के अनुसार उक्त आराजी रकबा 0.42 हेक्टेयर पर वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा कांटो की बाड़ की हुई एवं बाड के भीतर आराजी पर खडाई की गई है। वर्तमान में अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि के मौके से अतिक्रमण नही हटाया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

13.02.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही